| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील 10/2020<br>भजनलाल गोदारा बनाम भगवानाराम वगै. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री मुकेश जैन एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता श्री भजनलाल गोदारा उप.। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी के खातेदार हीरा का 2013 में एवं रूखमणी का 2014 में फौत हो गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलाधीन आदेश जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उसको बनाते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रेस्पोडेंट द्वारा खसरा संख्या 206 में से रास्ता चाहा गया है। जमाबंदी के अनुसार अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रस्तावित रास्ते के लिए क्षतिपूर्ति राशि रेस्पोडेंट द्वारा जमा करवा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाटगण हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। अतः अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 33/2017 बअनवान भगवानाराम बनाम सदराम में पारित आदेश दिनांक 28.05.2018 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं मृतक पक्षकार के कायम मुकाम को सुनवाई का एक अवसर देते हुए वाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर